

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांक: 2146-2154

दिनांक:- 05/01/2024

आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/मा-स/शीतलहर,लू(60)/वो.-2/2023 दिनांक 04.01.2024 के निर्देशानुसार भरतपुर जिले में अत्यधिक शीतलहर एवं सर्दी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 06.01.2024 से 13.01.2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षकों एवं संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा तथा कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएँ यथावत संचालित होंगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(लोकबन्धु)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

क्रमांक:- 2146-2154

दिनांक:- 05/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर।
4. सहायक आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा भरतपुर को देकर लेख है कि वे अपने परिक्षेत्र के निजी विद्यालयों से उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त भरतपुर को देकर लेख है कि वे अपने परिक्षेत्र के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों से उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
8. उपनिदेशक जन सम्पर्क कार्यालय भरतपुर।
9. निजी सचिव जिला कलक्टर भरतपुर
10. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

Signature valid

Kajkal Ref
5280040



Digitally signed by Lok Bandhu
Designation, Collector & District
Magistrate
Date: 2024.01.05 13:21:17 IST
Reason: Approved